KHAN GLOBAL STUDIES

The Most Trusted Learning Platform

SSC GD FOUNDATION 2024 -25

Bilingual

PRABHU SIR

न्यायपालिका Judiciary

प्रस्तावना
भाग-1
भाग-2
भाग-3
भाग-5
भाग-5 का
राष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति
(संघ के मौलि)

महान्यायवादी
CAG
राज्यपाल
(राज्य के मौलि
महाधिवक्ता
संसद
विधानमंडल

न्यायपालिका Judiciary

1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट के तहत सन 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायलय का प्रावधान किया गया। Under the Regulating Act of 1773, a provision was made for a Supreme Court in Calcutta in 1774.

जिसमे मुख्यन्यायधीश सहित 4 सदस्य थे , इसके मुख्यन्यायधीश सर इलाज़ाह इम्पे थे। अन्य न्यायाधीश लाइमेस्टर हाईड और चैम्बर्स थे। It had 4 members including the Chief Justice. Its Chief Justice was Sir Ilajah Impey. Other judges were Limester Hyde and Chambers.

इसका क्षेत्र अधिकार विहार और उड़ीसा तक विस्तृत था। यदि इससे बाहर के लोग अपनी सुनवाई करवाना चाहे तो दोनों पक्षों की सहमति अनिवार्य होगा। Its jurisdiction extended to Bihar and Orissa. If people from outside this court wanted to get their cases heard, the consent of both the parties would be mandatory.

❖ भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत सन 1937 में सम्पूर्ण भारत के लिये एक संघीय न्यायालय का प्रावधान दिल्ली के पुराने संसद भवन के चैम्बर ऑफ़ प्रिंसेस में किया गया। जिसके मुख्य न्यायाधीश मेरिस ग्वेयर थे।

Under the Government of India Act 1935, in 1937, a provision was made for a Federal Court for the whole of India in the Chamber of Princes of the old Parliament House in Delhi. Its Chief Justice was Maris Gwyer.

3

भारत के संविधान के द्वारा त्रिस्तरीय एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान 28 जनवरी 1950 को किया गया। The Constitution of India provided for a three-tier integrated judiciary on 28 January 1950.

जिसके तहत एक उच्चतम न्यायालय दिल्ली के पुराने संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में खोला गया। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरलाल J. कानिया थे। The Constitution of India provided for a three-tier integrated judiciary on 28 January 1950.

वर्तमान परिसर में इसका संचालन सन 1958 से लगातार किया जा रहा है। It has been operating continuously in the present premises since 1958.

आरम्भ में मुख्य न्यायाधीश सहित 7 + 1 = 8 न्यायाधीश थे। Initially there were 7 + 1 = 8 judges including the Chief Justice.

आरम्भ - 8 1+7
1. 1956 - 11 1+10
2. 1960 - 14 1+13
3. 1977 - 18 1+17
4. 1986 - 26 - 1+25
5. 2009 - 31 - 1+30
6. 2019 - 34 - 1+33

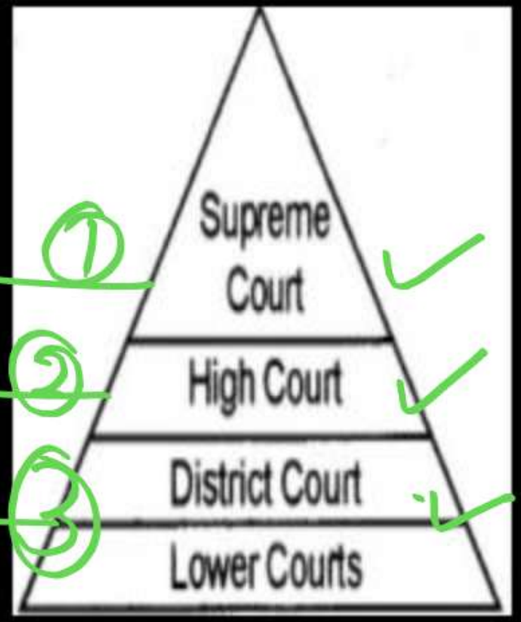

उच्चतम न्यायालय Supreme court

अनु 124 - भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। जोकि एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य उतने ही न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जितना समय समय पर राष्ट्रपति नियुक्त करें। There shall be a Supreme Court of India. It shall consist of a Chief Justice and such number of other Judges as the President may appoint from time to time.

न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार संसद के पास होगा।
The Parliament shall have the right to determine the number of Judges.

वर्तमान - 1+33 = 34

योग्यता -Qualification –

1. भारत का नागरिक हो। Should be a citizen of India.

2. एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधिश पद पर कार्य किया हो। Should have worked as a judge in one or more High Courts for 5 years.

या Or

3.एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक लगातार अधिवक्ता पद पर कार्य किया हो। Should have worked as an advocate in one or more High Courts continuously for 10 years

या Or

4. राष्ट्रपति के नज़र में पारंगत विधि वेत्ता हो। Should be an accomplished legal expert in the eyes of the President.

नियुक्ति- राष्ट्रपति के द्वारा
Appointment- By the President

कॉलेजियम प्रणाली Collegiums System- - उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को परामर्श देने से पूर्व अनिवार्य रूप से चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श प्राप्त करते हैं तथा इस समूह से प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। Before advising the President, the Chief Justice of the Supreme Court compulsorily seeks advice from a group of four senior-most judges and advises the President on the basis of the advice received from this group.

कार्यकाल Tenure -

1. अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक। Till the age of 65 years.
2. इससे पहले राष्ट्रपति को त्याग पात्र देकर अपना पद छोड़ सकेगा।
Before this, he can resign by giving resignation to the President.
3. साबित कदाचार या संवैधानिक असमर्थता के आधार पर संसद को दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर , राष्ट्रपति पद से हटा सकेंगे।
On the basis of proven misconduct or constitutional incapacity, the Parliament can remove him from the post of President on a resolution passed by both the houses with 2/3 majority.

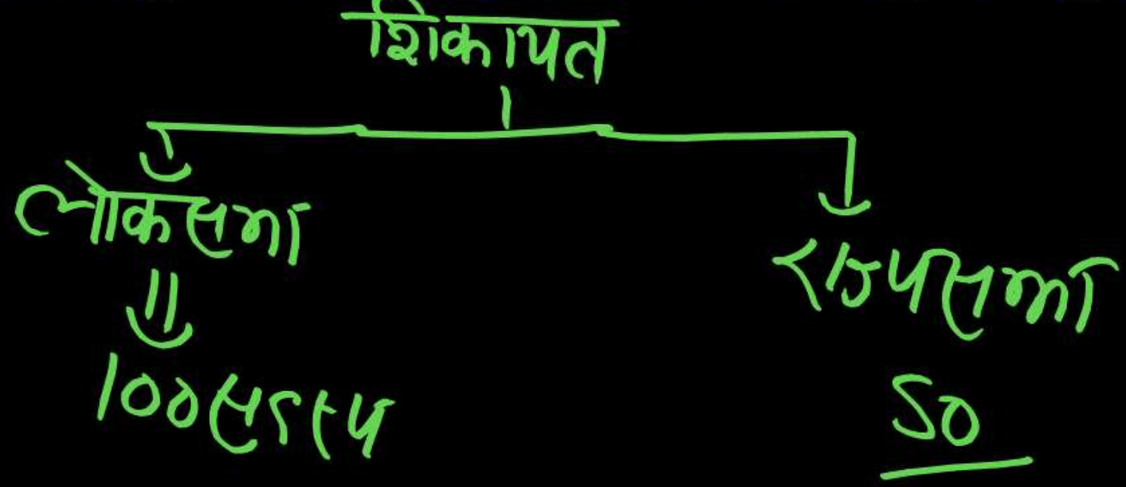

उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार- Jurisdiction of the Supreme Court-

1. प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार Original Jurisdiction (अनु 131)
2. अपीलीय क्षेत्राधिकार Appellate Jurisdiction (अनु 132 -134)
3. सलाहकारी क्षेत्राधिकार Advisory Jurisdiction (अनु 143)

1. प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार Original Jurisdiction (अनु 131)-

ऐसे मामले की सुनवाई सीधे उच्चतम न्यायालय में किया जाता है।Such a case is heard directly in the Supreme Court.

1. संघ के विरुद्ध एक या एक से अधिक राज्यों का विवाद।Dispute of one or more states against the Union.

२. संघ के साथ एक या एक से अधिक राज्य के विरुद्ध एक से अधिक राज्यों का विवाद।Dispute of more than one state against one or more states with the Union.

3. राज्यों का आपस में विवाद। Dispute between states.

2. अपीलीय क्षेत्राधिकार Appellate Jurisdiction (अनु 132 -134)

1. दीवानी मामला जिसमे उच्च न्यायालय के दिए निर्णय में विधि का प्रश्न अंतर्निहित हो और SC में अपील का प्रमाण पात्र हो तो SC जा सकते है। Appellate Jurisdiction - 1. In a civil case where a question of law is involved in the decision of the High Court and the certificate of appeal in SC is eligible, then SC can go.

2. आपराधिक मामले में जब - In a criminal case when -

A. किसी मामले में निचली अदालत ने निर्दोष करार दिया हो और उसी मामले के लिए HC मृत्युदंड दे दें। The lower court has declared the person innocent in a case and the HC awards death penalty for the same case.

B . किसी मामले में निचली अदालत में चल रहे मामले HC अपने पास मगाकर मृत्युदंड दे दें। In a case, the HC calls the case pending in the lower court to itself and awards death penalty.

3. आपराधिक मामले में HC विधि के प्रश्न अंतर्निहित होने के कारण अपील का प्रमाणपत्र देकर SC भेज सकेगा। In a criminal case, the HC can send the appeal to SC by giving a certificate of appeal as the question of law is involved.

अनु 136- विशेष इज़ाज़त से अपील - special leave petition –

सैन्य न्यायलय के निर्णय को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय, देश की सर्वोच्च अदालत को विशेष अनुमति देने , किसी भी मामले या कारण से पारित या किए गए किसी भी फैसले या आदेश या डिक्री के खिलाफ अपील करने की विशेष शक्ति प्रदान करता है।

Special power to grant special leave to the Supreme Court, the highest court of the country, to appeal against any judgment or order or decree passed or made in any case or cause, other than the decision of a military court. Offers. Courts/Tribunals within the territory of India.

अनु 143 - राष्ट्रपति का सलाहकारी अधिकार - Advisory power of the President

राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्यन्यायाधीश से सलाह ले सकता है , लेकिन मुख्य न्यायाधीश सलाह देने के लिए बाध्य नहीं होंगे। The President may seek advice from the Chief Justice of the Supreme Court, but the Chief Justice will not be bound to give advice.

यदि मामला संविधान लागु होने के पहले का हो तो मुख्य न्यायाधीश सलाह देने के लिए बाध्य होगा। If the matter is before the implementation of the Constitution, the Chief Justice will be bound to give advice.

यदि मामला राजनैतिक हो तो सलाह नहीं देगा। Will not give advice if the matter is political.

अनु 137 - न्यायिक पुनरावलोकन Judicial Review- -

उच्चतम न्यायालय अपने पूर्व में दिए निर्णय को रद्द या परिवर्तित कर सकेगा। The Supreme Court may revoke or alter any judgment given by it.

द्वारा बनाए गए किसी भी कानून,प्रावधान या अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, सर्वोच्च न्यायालय को उसके द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या दिए गए आदेश की समीक्षा करने की शक्ति होगी। Subject to any law, provision made by the State or any rule made under article 145, the Supreme Court shall have the power to review any judgment passed or order made by it.

अनु 138 - सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी मामले के संबंध में ऐसे अतिरिक्त क्षेत्राधिकार और शक्तियां होंगी जो भारत सरकार और किसी राज्य की सरकार विशेष समझौते द्वारा प्रदान कर सकती हैं, The Supreme Court shall have such additional jurisdiction and powers in respect of any matter as the Government of India and the Government of a State may by special agreement confer,

अनु 139 - संसद कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पृच्छा , प्रतिषेध और उत्प्रेषण है। Parliament may by law confer power on the Supreme Court to issue writs, including habeas corpus, mandamus, quo warranto, prohibition and certiorari.

अनु 125 - न्यायाधीशों के वेतन, भत्तों, और अन्य लाभों से जुड़ा है. न्यायाधीशों को न्याय और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता और सुरक्षा मिले. Deals with salaries, allowances, and other benefits of judges. Judges should get adequate financial support and security to maintain the principles of justice and independence.

अनु 126- कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति Appointment of Acting Chief Justice -

जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति हो या कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा When the Chief Justice is absent or unable to perform the duties, another senior judge will be appointed by the President. .

अनु 127 - तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति Appointment of ad hoc Judges –

जब उच्चतम न्यायालय में न्यायधिशो की गण पूर्ति संख्या पूर्ण नहीं हो रहा हो तो , उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने योग्य ब्यक्ति को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा।

When the quorum of Judges in the Supreme Court is not sufficient, the Chief Justice of the Supreme Court may, with the prior permission of the President, appoint a person qualified to be a Judge of the Supreme Court as an ad hoc Judge.

अनु 128 - अतिरिक्त न्यायधिशो की नियुक्ति Appointment of additional judges –

- जब उच्चतम न्यायालय में मामलो की संख्या में अत्यधिक बृदधि हो तो मामले के निपटारे के लिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों से कार्य की सिफारिस क्र सकते है।

When there is a huge increase in the number of cases in the Supreme Court, the Chief Justice of the Supreme Court can recommend work to former judges of the Supreme Court with the prior permission of the President to settle the case.

अनु. 129 अभिलेख न्यायालय Court of Record - - उच्चतम न्यायालय की अवमानना करने वाले को वह स्वयं दण्डित कर सकेगा। It can itself punish the person who commits contempt of the Supreme Court.
उच्चतम न्यायालय दवरा दिया गया निर्णय अन्य न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा। The decision given by the Supreme Court can be presented as evidence in other courts.

अनु 142 -सर्वोच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति - Discretionary power of the Supreme Court –

सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री या आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामलों में पूर्ण न्याय करने के लिये आवश्यक हो।
The Supreme Court may, in exercise of its powers, make such decree or order as may be necessary for doing complete justice in any case pending before it.

अनु 144 -सभी नागरिक प्राधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करना चाहिए। All civil authorities should act in aid of the Supreme Court.

KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

THANKS FOR WATCHING